

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1185/2013/उदयपुर.

मैसर्स हिन्द सोप एजेंसीज, कृष्णापुरा, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,

घट-प्रथम, वृत-ए, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/01/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 154/वैट/12-13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.02.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत-ए, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.03.2009 को पारित किया गया, जिसमें व्यवहारी के दिनांक 31.03.2006 के क्लॉजिंग स्टॉक की सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अन्तिम स्टॉक पर आई.टी.सी. स्वीकृत नहीं की गयी थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधन प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.08.2012 प्रस्तुत कर दिनांक 31.03.2006 के क्लॉजिंग स्टॉक पर आई.टी.सी. का क्लेम देने का अनुरोध किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र को दिनांक 15.10.2012 का अस्वीकार कर दिया।

लगातार.....2

3. उक्त आदेश दिनांक 15.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार की गयी कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर के परिपत्र अनुसार क्लॉजिंग स्टॉक की सूचना दिनांक 31.05.2006 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जबकि व्यवहारी द्वारा दिनांक 26.12.2006 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।
4. बावजूद सूचना अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील मीमो के साथ प्रस्तुत अपील आधारों का अध्ययन किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उसके क्लॉजिंग स्टॉक की सूचना अपने कर सलाहकार को दे दी गयी थी, किन्तु उनके द्वारा विभाग में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, जिसके लिये अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त अंकन के साथ अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वेट अधिनियम की धारा 91 के तहत जारी किये गये आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या F.1(Acct)/VAT/ CTO/VAT Cell/2002 दिनांक 2.6.2006 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 31.3.2006 को अवशेष रहे स्टॉक पर आई.टी.सी. क्लेम करने हेतु वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.6.2006 तक सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चाहा गया आई.टी.सी. क्लेम विधि अनुसार अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।
6. अपीलार्थी के अपील आधारों का अध्ययन किया गया तथा विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



लगातार.....3

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 19 के तहत दिनांक 31.3.2006 को कर चुके अवशेष अंतिम स्टॉक पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट लेने हेतु ऐसे स्टॉक की सूचना वेट अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में विहित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना था। आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 02.06.2006 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे अन्तिम स्टॉक की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.06.2006 तक सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी थी, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त सूचना दिनांक 28.12.2006 को प्रस्तुत की, जो नियत अवधि/प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।


8. यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी वह उसमें विवादित संशोधन प्रार्थना-पत्र पर दिया गया आदेश दिनांक 15.10.2012 में दो बिन्दुओं पर प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया था कि आई.टी.सी. क्लेम की सूचना विहित समयावधि में नहीं थी एवं संशोधन प्रार्थना-पत्र मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.03.2009 के तीन वर्ष पश्चात् दिनांक 24.08.2012 का प्रस्तुत होने से धारा 33 में विहित समयावधि जिसमें प्रार्थना-पत्र पेश करने की कालातीत होने से अस्वीकार योग्य है।

9. चूंकि प्रथमतया संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ही समयावधि बाहर (time barred) था एवं इसी तरह आई.टी.सी. क्लेम भी time barred था अतः अपीलार्थी के संशोधन पत्र को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्णतया विधिक प्रावधानों अनुसार खारिज किया गया था, अतः अपीलीय आदेश एवं संशोधन हेतु पारित कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाते हैं।

10. अतः अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


 (के. एल. जैन)
 सदस्य